

भाग-V

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

पुस्तक- 52607/2020

18- राज्य सरकार की सिफारिश  
(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग भाग घ में किसी  
अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल  
टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

CCF, लखनऊ की संस्तुति  
के आधार पर स्वीकृतार्थ  
संस्तुति की जाती है।

hg

Anupam Gupta  
Coordinator of Forest/Nodal Officer  
Forest Conservation Act. 1980  
U.P. Lucknow

नाम-

सरकारी मोहर

दिनांक- 4/2/21

स्थान- .....